FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0092 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/04/2025 12:47 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 05/02/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/04/2025 **Time (समय):** 10:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/04/2025 12:47:26 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KAR BHAVAN VANIJYAK KAR VIBHAG,, SIKAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HARMIT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BIRBAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2004 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM PRATAPPURA,, GRAM PANCHYAT KHUDEE BADEE, LAXMANGARH(SIKAR), SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM PRATAPPURA,, GRAM PANCHYAT KHUDEE BADEE, LAXMANGARH(SIKAR), SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHESH KUMAR		पिता:UMARAV SINGH	1. GRAM POST SIHOD,VAYA TIBABASIE,KHETRI,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

संक्षिप्त हालात इस प्रकार है कि दिनांक 03.02.2025 को समय 04.00 पीएम पर परिवादी श्री हरमित पुत्र श्री बीरबल जाति जाट उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम प्रतापपुरा ग्राम पंचायत खूडी बडी तहसील व पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने चौकी पर उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना-पत्र, स्वयं की पहचान के रुप में आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र की ऑनलाईन प्राप्ती रसीद की फोटो प्रति के साथ इस आशय का पेश किया कि सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधिकक्षक एसीबी सीकर, विषयः- रिश्वत खोर को रंगे आथ पकड्वाने हेतु। महोदय, मैने अपने खेत में Aloevera की खेती कर रखी है एवं इसके उत्पादो को बेचने के लिए मुझे GST Namber की जरुरत पडी जीस पर मैने दिनांक 15.01.2025 को GST नम्बर हेतु ऑनलाईन आवेदन किया। दिनांक 27.01.2025 को मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉर करके कहा कि में GST office सावली रोड सीकर से महेश कुमार बॉल रहा हूं आप अपनी फॉर्म के सारे दस्तावेज लेकर मेरे ऑफीस आ जाओ जिस पर मै उसी दिन GST ऑफिस जाकर महेश कुमार से मिला तो उसने बताया की आपके आवेदन में फोटो नहीं लगी हूई है। इस लिए मै आपका आवेदन निरस्त कर रहा हू। उसी समय मैने महेश कुमार के कहने पर मेरे मोबाइल से पुनः GST हेतु नया आवेदन कर दिया। इसके बाद महेश कुमार ने मुझे कहा की आपको GST नम्बर मिल जायेगा मे आपका पूरा काम करवा दूगा इसके लिए आपको मुझे 3000 रुपये खर्चे पानी के देने पडेंगे। मै महेश कुमार को रिश्वत नहीं दे कर उसे रिश्वत लेते पकड्वाना चाहता हू। कार्यवाही करे एसडी हरमित पुत्र श्री बीरबल जाति जाट प्रतापपुरा लक्ष्मगढ सीकर मोबाइल नं.-[redacted] मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री हरमित ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखकर लाना बताया व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का सही होना बताते हुये श्री महेश कुमार, कार्मिक, कर भवन वाणिज्यिक कर विभाग सीकर से पहले की कोई रंजिश अथवा उधार लेन देन नहीं होना बताया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों मजिद दरियाफ्त से मामला प्रथम द्रष्टया रिश्वत लेन-देन का पाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री हरमित ने बताया कि अभी शाम का समय हो गया है, श्री महेश कुमार ने अपने ऑफिस में मिलने की संभावना नहीं है तथा कल का राजकीय अवकाश है। अतः मैं दिनांक 05.02.2025 को मेरे जीएसटी नम्बर के सम्बन्ध में श्री महेश कुमार से बातचीत करने के लिये उसके ऑफिस में जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री हरमित को दिनांक 05.02.2025 को अपने काम के संबंध में संदिग्ध के पास जाने से पूर्व इस कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया। दिनांक 05.02.2025 को परिवादी श्री हरमित ने एसीबी कार्यालय में मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि मै आज अपने जीएसटी नम्बर के सम्बन्ध में श्री महेश कुमार से बातचीत करने के लिये उसके ऑफिस में जाउंगा। मेरे द्वारा श्री महेश कुमार से मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत करने पर वह मेरे से रुपयो की मांग करेगा। जिस पर श्री महेश कुमार, हैड कानि. 48 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया गया। कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर एवं नया मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर परिवादी श्री हरमित को डीवीआर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई व डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में चलाकर देखा गया तो पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री महेश कुमार हैड कानि. नं. 48 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री महेश कुमार हैड कानि. नं. 48 के साथ परिवादी श्री हरमित को मुनासिब हिदायत दी जाकर समय 02.30 पीएम पर सीकर शहर रवाना किया गया। समय 04.00 पीएम पर श्री महेश कुमार हैड कानि. मय परिवादी श्री हरमित के उपस्थित कार्यालय आया एवं डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं एवं परिवादी श्री हरमित एसीबी कार्यालय से रवाना होकर सांवली रोड सीकर स्थित कर भवन वाणिज्यिक कर विभाग सीकर के पास पहुंचे। जहाँ पर मैने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को चालू करके परिवादी को सुपुर्द कर दिया था जिसे परिवादी श्री हरमित ने प्राप्त कर कर भवन वाणिज्यिक कर विभाग सीकर के अन्दर चला गया। मैं कर भवन वाणिज्यिक कर विभाग सीकर के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी श्री हरमित के जीएसटी कार्यालय से बाहर आने पर परिवादी ने डीवीआर मेरे को सुपुर्द कर दिया जिससे मैने बन्द कर सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मेरे को बताया कि मैने जीएसटी कार्यालय के अन्दर जाकर श्री महेश कुमार से मेरे कार्य के सम्बन्ध में बात की तो उसने मेरे से दो हजार रुपये देने की कही है। इसके पश्चात मै एवं परिवादी वहाँ से रवाना होकर

आपके पास कार्यालय में आ गये। परिवादी श्री हरमित ने महेश कुमार हैड कानि. के कथनो की ताईद करते हुये बताया कि मैने आपके श्री महेश कुमार हैड कानि. से डीवीआर प्राप्त कर जीएसटी कार्यालय के अन्दर जाकर श्री महेश कुमार, जीएसटी अधिकारी से मेरे जीएसटी नम्बर के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने मेरे से मेरे जीएसटी आवेदन नम्बर पूछकर ऑफिस के कम्प्यूटर में देखकर बताया कि आपकी जीएसटी आवेदन संबंधी रिपोर्ट मेरे कार्यालय के दूसरे कर्मचारी के पास है। मैं आपकी जीएसटी आवेदन संबंधी रिपोर्ट सकारात्मक बनवाकर अपलोड करवा दूंगा। आपको इसके लिये मुझे दो हजार रुपये देने पड़ेंगे एवं यह भी कहा है कि आप अपनी फर्म की फोटो फर्म के नाम पते के साथ खींचकर कल मुझे भेज देना। इसके बाद मेरे से मिल लेना। मन् पुलिस निरीक्षक ने डीवीआर को चालू कर सुना तो परिवादी एवं हैड कानि. द्वारा बताये गये तथ्यो के क्रम में रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित अलमारी में रखा। परिवादी श्री हरमित ने बताया कि मेरे कृषि स्नातक के वाईवा वॉईस एवं प्रेक्टिकल परीक्षाए चल रही है तथा मेरा कल भी वाईवा वॉईस एवं प्रेक्टिकल पेपर है। मैं एक-दो दिन में मेरी फर्म का फ्लैक्स बनवाकर, फोटो खींचकर श्री महेश कुमार, जीएसटी अधिकारी को फोटो भेजकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर समय 05.00 पीएम पर रुखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 12.03.2025 को परिवादी श्री हरमित एसीबी कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 26.02.2025 को जीएसटी कार्यालय सीकर के श्री बाबूलाल सैनी ने मेरी फर्म पर आकर मेरी फर्म का सर्वे किया था। उसके पश्चात दिनांक 04.03.2025 को मुझे मेरे मोबाईल पर मेरा आवेदन निरस्त होने का मैसेज मिला। मेरी परिक्षाएं होने एवं दूसरे कार्यो में व्यस्त होने को कारण मै मेरी फर्म का फ्लैक्स भी नहीं बनवा पाया। मेरे से जीएसटी कार्यालय के महेश कुमार ने भी अभी तक दुबारा सम्पर्क नहीं किया है। जिस कारण मै इतने दिन आपके पास उपस्थित नहीं हो सका। मेरा जीएसटी आवेदन निरस्त होने के कारण अब बन्द हो गया है इसलिये मेरे से महेश कुमार अब रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगा। मेरी शिकायत पर अग्रिम कार्यवाही करे। जिस पर श्री मनोज कुमार हैड कानि. नं. 134 को कार्यालय खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग सीकर से दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु तहरीर हमराह देकर रवाना किया गया। जिस पर श्री मनोज कुमार हैड कानि. नं. 134 कार्यालय खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग सीकर से श्री पूर्णमल गीला, सहायक लेखाअधिकारी-द्वितीय एवं श्री धर्मेन्द्र कुमावत, वरिष्ठ सहायक को हमराह लेकर आया, जिनका कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री हरमित से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनो के हस्ताक्षर करवाया गया तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात समय 02.00 पीएम पर परिवादी श्री हरमित द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.02.2025 को आरोपी श्री महेश कुमार, कार्मिक, कर भवन वाणिज्यिक कर विभाग सीकर से आमने सामने हुई बातचीत के डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री महेश कुमार हैड कानि. नं. 48 से कार्यालय के लेपटॉप में जुड़वाकर रिकॉर्डिंग वार्ता को स्पीकर के जरिये सुना जाकर वार्ता का फर्द रुपान्तरण एवं हिन्दी अनुवाद श्री महेश कुमार, हैड कानि. नं. 48 से करवाया गया। उक्त वार्ता में परिवादी श्री हरमित ने स्वयं की व आरोपी श्री महेश कुमार, कार्मिक, कर भवन वाणिज्यिक कर विभाग सीकर की आवाज होना पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता को लेपटॉप की सहायता से उन चारो सीडीयों में वार्ता की पृथक-पृथक कॉपी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड ADATA 16GB एवं दो सीडीयों की लेपटॉप की सहायता से महेश कुमार हैड कानि. नं. 48 से FTK Imager से सॉफ्टवेयर से अलग-अलग हैश वैल्यु निकालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॉप से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर हटाकर उसमें से मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड ADATA 16GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिब्बी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ए अंकित किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वैल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क ए-1 एवं दूसरी सीडी पर मार्क ए-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पृथक-पृथक प्लास्टिक के कवर में डालकर पृथक-पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क ए-1 एवं ए-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एवं अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द डबिंग, तैयार सीडी एवं ट्रांसक्रिप्शन वार्तालाप डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। वजह सबूत सील्डशुदा मेमोरी कार्ड मार्क ए व सील्डशुदा सीडी मार्क ए-1, ए-2 को श्री अशोक कुमार हैड कानि. 79 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी श्री हरमित का जीएसटी का आवेदन निरस्त हो चुका है एवं संदिग्ध आरोपी श्री महेश कुमार, कार्मिक, कर भवन वाणिज्यिक कर विभाग सीकर द्वारा परिवादी से सम्पर्क भी नहीं किया गया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी को परिवादी पर शक हो गया है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। बाद कार्यवाही परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया। परिवादी श्री हरमित का जीएसटी का आवेदन निरस्त हो जाने एवं आरोपी श्री महेश कुमार, कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-ए सीकर द्वारा परिवादी से दूबारा सम्पर्क भी नहीं किये जाने से आरोपी के विरुद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी चूंकि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.02.2025 के दौरान परिवादी

श्री हरमित ने अपने जीएसटी आवेदन के सम्बन्ध में कर भवन वाणिज्यिक कर विभाग सीकर के श्री महेश कुमार कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी से वार्ता की तो आरोपी महेश कुमार ने कहा कि फोटो तो भेज देना, मैं उनको भेज देता सुबह जिस पर परिवादी ने कहा कि हूँ कितना बणा है, कितना, लेके आउ कितना जिस पर आरोपी ने कहा कि तीन जिस पर परिवादी ने कहा कि है तीन हजार, कल, है दो, दो में नहीं चलेगा जिस पर आरोपी कहता है कि पन्द्रह सौ तो अपरुवल के ले लेंगे, पन्द्रह सौ वो रिपोर्ट के लेंगे, तो उधर से थौड़ा सा कराके ये है, दो लेते है मैने उस दिन बताया था, रिपोर्ट वाले इसी वार्ता में आरोपी कहता है कि दो देंगे उनके, ... फिर करवा देंगे पन्द्रह सौ – दो हजार में जिस परिवादी के कथन है कि फिर दो हजार आदि कथनों से परिवादी की फर्म के जीएसटी नम्बर दिलवाने की एवज में आरोपी श्री महेश कुमार, कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-ए सीकर द्वारा दो हजार रुपये बतौर रिश्वत की मांग किये जाने की पुष्टी होती है। इस प्रकार की गई उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री महेश कुमार, कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये परिवादी श्री हरमित की फर्म के जीएसटी नम्बर दिलवाने की एवज में दो हजार रुपये बतौर रिश्वत की मांग करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है आरोपी श्री महेश कुमार पुत्र श्री उमराव सिंह उम्र-38 वर्ष, निवासी ग्राम पो.-सिहोड़, वाया टिबाबसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-ए सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय है। अतः आरोपी श्री महेश कुमार, कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-ए सीकर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (सुभाष मील) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर......................कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)में आरोपी श्री महेश कुमार पुत्र श्री उमराव सिंह उम्र- 38 वर्ष, निवासी ग्राम पो.- सिहोड़, वाया टिबाबसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-ए सीकर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 223 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 532-35 दिनांक 15.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर, 2.आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड, सी-स्कीम, जयपुर, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर चतुर्थ, 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/04/2025 12:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	25/11/1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)